UPSC Daily Current Affairs 30 Jun 2021

1. EU का नया टीका पासपोर्ट कार्यक्रम

(विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- IR, स्रोत- द हिंदू)

खबरों में क्यों है?

- हाल में, भारतीय सीरम संस्थान द्वारा विनिर्मित कोविशील्ड उन टीकों में शामिल नहीं है जिन्हें यूरोपीय औषधीय एजेंसी (EMA) द्वारा अपने टीका पासपोर्ट कार्यक्रम अथवा **ग्रीन पास योजना** के लिए स्वीकृति दी गई है। यह यूरोप में आने-जाने की स्वतंत्र अनुमति देता है।

कोविशील्ड के साथ चिंता

- कोविशील्ड टीके को अभी भी यूरोपीय औषधीय एजेंसी (EMA) द्वारा स्वीकृति दी जानी बाकी है यद्यपि विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने कोविशील्ड जैसे टीके को ब्लॉक के डिजिटल कोविड प्रमाणपत्र अथवा ग्रीन पास हासिल करने के लिए प्राधिकृत किया है।
- भारत में यह डर है कि वे लोग जिन्होंने कोविशील्ड का टीका लगवाया है, उनको ग्रीन पास योजना के तहत यूरोपीय संघ सदस्य देशों में यात्रा करने की अनुमति नहीं मिलेगी।

खबरों में और भी है

- EU डिजिटल कोविड प्रमाणपत्र, अथवा "ग्रीन पास" जैसा कि इसे लोकप्रिय तौर पर कहा जाता है, का सृजन लोगों के लिए यात्रा की स्वतंत्रता की पुनर्बहाली करने के लिए है और यह महामारी की वजह से प्रवेश पर लगी हुई रोक को हटाएगा।
- नई टीका पासपोर्ट प्रणाली 1 जुलाई से पूरे EU में प्रभाव में आ रही है।

ग्रीन पास योजना के बारे में जानकारी

- इसे EU डिजिटल कोविड प्रमाणपत्र भी कहा जाता है।
- EU डिजिटल कोविड प्रमाणपत्र अथवा "ग्रीन पास" यूरोपीय देशों में यात्रा करने के लिए आवश्यक होंगे और वे इस बात का प्रमाण होंगे कि व्यक्ति को कोविड-19 से बचाव के लिए टीका लगा है।

लक्ष्य

- EU डिजिटल कोविड प्रमाणपत्र का लक्ष्य EU के अंदर मुक्त आवागमन को सुगम बनाना है।
- यह यात्रा करने के लिए पूर्व शर्त नहीं है।
- EU डिजिटल प्रमाणपत्र का अर्थ EU सदस्य देशों के अंदर कोविड-19 महामारी के दौरान सुरक्षित मुक्त आवागमन को सुगम बनाना है और यह इस बात का प्रमाण होगा कि व्यक्ति को कोविड-

19 के लिए टीका लगा है, उसकी ऋणात्मक परीक्षण रिपोर्ट आई है अथवा वह संक्रमण से ठीक हो चुका है।

- डिजिटल कोविड प्रमाणपत्र के उद्देश्य के लिए, व्यक्तिगत सदस्य देशों को यह विकल्प होगा कि वे उसे टीकाकरणों को भी स्वीकार करें जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्राधिकृत किया गया है, जैसे कि कोविशील्ड।
- यह दस्तावेज **पूरे EU देशों में वैध है।**

प्रमाणपत्र में शामिल सूचना

- इस प्रमाणपत्र में शामिल सूचनाएं हैं- नाम, जन्म तिथि, जारी करने की तिथि, टीके का नाम अथवा ऋणात्मक परीक्षण परिणाम का विवरण अथवा कोविड-19 से स्वास्थ्य लाभ।
- इस प्रमाणपत्र में एक डिजिटल हस्ताक्षर शामिल होता है, QR कोड को स्कैन करने पर इसका सत्यापन होता है।
- प्रत्येक जारी करने वाले निकाय का स्वयं का डिजिटल हस्ताक्षर कुंजी होती है, प्रत्येक देश में इसके एक सुरक्षित डाटाबेस में भंडारित किया जाता है।
- यूरोपीय आयोग ने एक गेटवे को डिजाइन है जिसके द्वारा पूरे यूरोपीय संघ में सभी हस्ताक्षरों का सत्यापन किया जा सकता है।

इस उद्देश्य के लिए EMA द्वारा स्वीकृत टीके

- EMA की वर्तमान सूची में चार टीके शामिल हैं- वैक्सजेब्रिया (ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका), कॉमरनेटी (फाइजर-बायोनटेक), स्पाइकवैक्स (मॉडेर्ना) और जानस्सेन (जॉनसन एंड जॉनसन)।
- भारत में अभी तक सत्यापित किए गए तीन टीकों- कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक V- में से कोई इस सूची में शामिल नहीं है।

'टीका पासपोर्ट' पर भारत का रुख

- यद्यपि EU ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ग्रीन पास अनिवार्य नहीं होगा, इस मामले ने एक बार फिर से निजता और नैतिकता के इर्द-गिर्द एक बड़े वाद-विवाद को जन्म दे दिया है।
- टीका पासपोर्ट को सामान्य होते हुए माहौल के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन इसने अतिक्रमण, निजता और मुक्त आवागमन के अधिकार पर प्रतिबंध जैसी बड़ी चिंताओं को पैदा किया है।
- **जी7 देशों** की हाल की बैठक में **केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन** ने कहा कि भारत इस समय में टीका पासपोर्ट के खिलाफ है।

2. न्याय विभाग ने इंफोर्सिंग कांट्रैक्ट्स पोर्टल शुरू किया

(विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- शासन, स्रोत- द हिंदू)

खबरों में क्यों है?

- न्याय विभाग ने हाल में इंफोर्सिंग कांट्रैक्ट्स पोर्टल शुरू किया है।

इंफोर्सिंग कांट्रैक्ट्स पोर्टल के बारे में जानकारी

लक्ष्य

- पोर्टल का लक्ष्य देश में व्यवसाय करने की सुगमता को बढ़ावा देना और 'संविदा प्रवर्तन शासन' में सुधार करना है।
- यह पोर्टल दिल्ली, मुंबई, बंगलुरु और कोलकाता के समर्पित व्यावसायिक न्यायालयों में व्यावसायिक मामलों पर नवीनतम सूचना तक आसान पहुंच उपलब्ध कराता है।
- यह पोर्टल व्यावसायिक कानूनों के भंडार तक पहुंच भी उपलब्ध कराता है।
- इस पोर्टल की कल्पना ऐसी की गई है कि यह इंफोर्सिंग कांट्रेक्ट्स मानदंडों पर किए जा रहे वैधानिक और नीति सुधारों से संबंधित सूचना का समग्र स्रोत होगा।

महत्व

- कानून एवं न्याय मंत्रालय के अंतर्गत न्याय विभाग भारत में व्यवसाय करने की सुगमता के लिए इंफोर्सिंग कांट्रैक्ट्स शासन को मजबूत करने के लिए वैधानिक और नीति सुधारों की निगरानी कर रहा है।
- इंफोर्सिंग कांट्रैक्ट्स एक जरूरी क्षेत्र है जो मानकीकृत व्यावसायिक विवाद को सुलझाने साथ ही न्यायपालिका में अच्छी प्रथाओं की श्रृंखला के लिए समय और कीमत का मापन करता है।
- यह व्यवसाय करने की सुगमता में सहायता देता है।

3. भारत के साथ $1 अरब अदला-बदली समझौते पर लंका की निर्भरता

(विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- IR, स्रोत- द हिंदू)

खबरों में क्यों है?

- हाल में, श्रीलंका इस वर्ष अपने ऋण पुनर्भुगतान दायित्वों को पूरा करने और वर्तमान आर्थिक संकट से बाहर आने के लिए भारत से $1 अरब मुद्रा की अदला-बदली पर निर्भर कर रहा है।

खबरों में और भी है

- श्रीलंका केंद्रीय बैंक (CBSL) ने फरवरी 2021 में भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ $400 मिलियन मुद्रा की अदला-बदली सुविधा को निपटाया है।
- इस अदला-बदली सुविधा को CBSL ने जुलाई 31, 2020 में लिया था। यह प्रारंभिक तौर पर तीन महीनों के लिए थी।
- तीन महीनों के 1 फरवरी, 2021 तक भुगतान स्थगित करने को CBSL के आवेदन पर उपलब्ध कराया गया।

संबंधित सूचना

मुद्रा अदला-बदली समझौतों के बारे में जानकारी

- इसमें स्थानीय मुद्राओं में व्यापार शामिल है, जहां देश पूर्व निर्धारित विनिमय दरों पर आयात और निर्यात के लिए भुगतान करते हैं। इसमें US डॉलर जैसी तीसरे देश की मुद्रा शामिल नहीं होती है।
- इससे तीसरी मुद्रा के खिलाफ उतार-चढ़ाव का जोखिम कम हो जाता है, और बहु मुद्रा विनिमयों में शामिल शुल्क भी समाप्त हो जाते हैं।

SAARC देशों के मध्य मुद्रा अदला-बदली समझौते

- भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2019-2022 के लिए दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC) के वास्ते मुद्रा अदला-बदली समझौते पर ढांचे की पुनर्समीक्षा की है।
- SAARC मुद्रा अदला-बदली ढांचा 15 नवंबर, 2012 को प्रभाव में आया।
- यह लघु अवधि के विदेशी विनिमय तरलता जरूरतों अथवा जब तक दीर्घावधि व्यवस्थाएं न कर ली जाएं तब तक लघु अवधि के भुगतान संतुलन के लिए वित्तीयन की बैकस्टाप रेखा को उपलब्ध कराता है।
- यह सुविधा सभी SAARC सदस्य देशों को उपलब्ध है, जिसके लिए उन्हें द्विपक्षीय अदला-बदली समझौतों पर हस्ताक्षर करना आवश्यक है।

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के बारे में जानकारी

- इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका (बांग्लादेश) में SAARC चार्टर पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी।

सदस्य

- इसके आठ सदस्य देश अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका हैं।
- इसका सचिवालय **काठमांडू (नेपाल)** में है।

उद्देश्य

- इसका उद्देश्य दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को प्रोत्साहित करना, उनके जीवन स्तर में सुधार करना और अन्य चीजों के अतिरिक्त आर्थिक वृद्धि को तीव्र करना है।

4. हिमस्खलन की वजह से चमोली आपदा

(विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- आपदा प्रबंधन, स्रोत- द हिंदू)

खबरों में क्यों है?

- भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण के अनुसार, चमोली जिले, उत्तराखंड में फरवरी 7 की अचानक आई बाढ़ बर्फ और शैल हिमस्खलन के बड़े द्रव्यमान साथ ही रौंथी गढ़ घाटी तलहटी में लटक रहे शैल के टुकड़े के गिरने की वजह से आई।
- इसके प्रभाव ने शैल, बर्फ के संयोजन को पीस कर रखा दिया जिससे **रौंथी गढ़ के नीचे की ओर और ऋषि गंगा घाटी में तेजी से प्रवाह हुआ जिससे बाढ़ आ गई।**
- **इसमें हिमनदीय झील के फटने से बाढ़** (GLOF) **का कोई प्रमाण नहीं था जैसा कि पहले सोचा जा रहा था।**

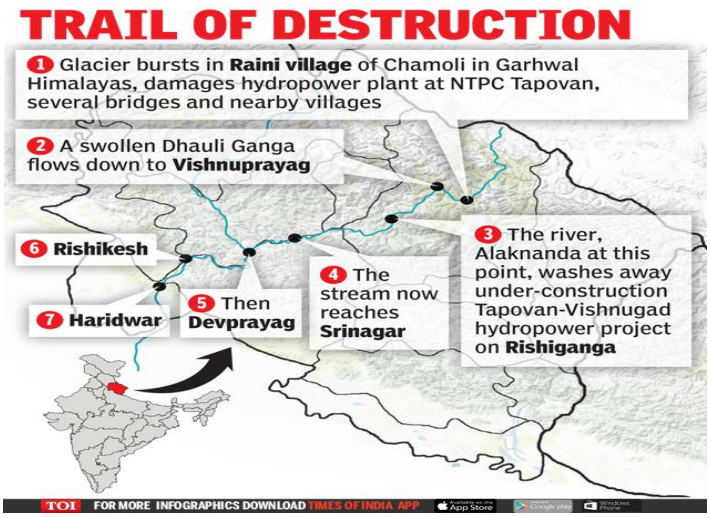

प्रभाव

- जल प्रलय ने दो पनबिजली परियोजनाओं- **ऋषिगंगा लघु पन परियोजना और राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम (NTPC) की तपोवन परियोजना** को को नष्ट कर दिया था। यह परियोजना उत्तरी उत्तराखंड में धौलीगंगा नदी के किनारे पर स्थित है। यह बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और जल भरने की वजह से काफी मजदूर सुरंगों में फंस गए।

हिमस्खलन के बारे में जानकारी

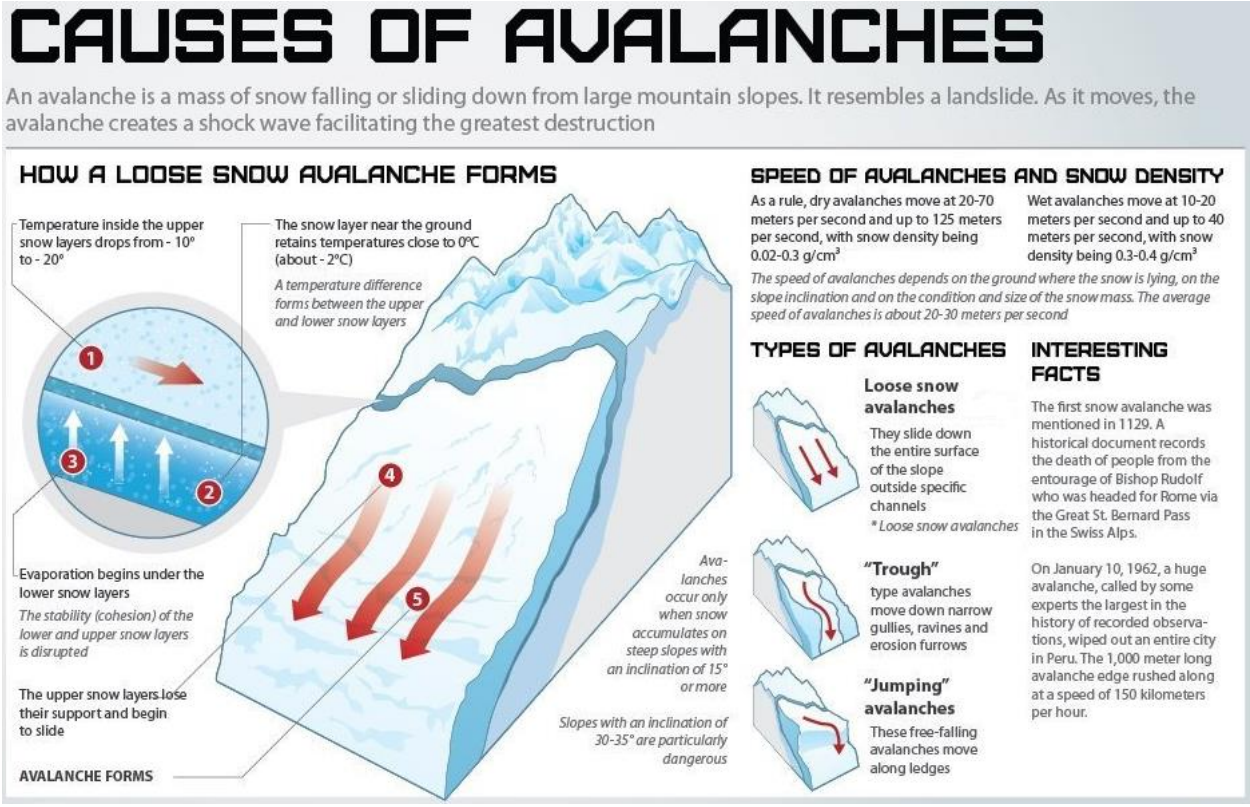

- एक हिमस्खलन (इसे बर्फ का लुढ़कना भी कहते हैं) किसी ढलान पर तेजी से बर्फ का लुढ़कना है, जैसे कि किसी पहाड़ी या पर्वत से।
- हिमस्खलन अचानक शुरू हो सकते हैं, जिसके कारक बढ़ा हुआ वर्षण अथवा जमी बर्फ का ढीला हो जाना अथवा बाह्य कारणों जैसे मानव, जानवर और भूंकप हो सकते हैं।
- प्रारंभिक तौर पर इनकी संरचना लुढ़कती हुई बर्फ और वायु है, बड़े हिमस्खलनों में बर्फ, शैलों और पेड़ों पर पकड़ बनाकर उन्हें गतिमान करने की क्षमता होती है।

ये दो सामान्य रूपों में होते हैं अथवा कुछ संयोजन निम्न हैं:

a. खंड हिमस्खलन अच्छे से बंधी हुई बर्फ से बने होते हैं, जिसमें नीचे की कमजोर बर्फ के स्तर के गिरने से यह शुरू होता है।

b. ढीले बर्फ के हिमस्खलन ढीली बर्फ के बने होते हैं।

- हिमस्खलन किसी भी पर्वत श्रृंखला में हो सकते हैं जहां स्थाई बर्फ का जमाव होता है।
- वे जाड़े अथवा बसंत में ज्यादा होते हैं, लेकिन साल के किसी भी समय हो सकते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में, हिमस्खलन जीवन एवं संपत्ति के लिए सबसे ज्यादा गंभीर प्राकृतिक खतरे होते हैं और इसलिए हिमस्खलन को नियंत्रित करने के लिए काफी प्रयास किये जाते हैं।

हिमनदीय झील के फटने से बाढ़ के बारे में जानकारी

- हिमनदीय झील फटने से आने वाली बाढ़ (GLOF) एक प्रकार की फटने वाली बाढ़ है जो तब आती है जब हिमनदीय झील वाले बांध टूट जाते हैं।
- GLOF के समान ही एक घटना, जहां हिमनद में जल का जमाव पिघलता अथवा हिमनद से बाहर निकल जाता है, को **जोकुलहलौप** कहते हैं।
- बांध में हिमनद बर्फ अथवा एक टर्मिनल हिमोद हो सकता है।

- बांध टूटने का कारण क्षरण, जल दबाव का बनना, शैल अथवा भारी बर्फ का हिमस्खलन, भूकंप अथवा क्रायोसेसिज्म, बर्फ के नीचे ज्वालामुखी का फटना, अथवा किसी हिमनदीय झील में जल का जबर्दस्त विस्थापन जब बगल का हिमनद इसमें टूट कर गिर जाता है, हो सकता है।

संबंधित सूचना

<u>तपोवन विष्णुगढ़ पनबिजली संयंत्र</u>

Tapovan Vishnugad

Address	Kagbhusandi Office, Badrinath Road, Joshimath, District Chamoli, Uttarakhand-246443
Telephone	(STD Code - 01389) 222192
Fax	222435
Approved Capacity	520 MW
Installed Capacity	Under Construction
Location	Chamoli, Uttarakhand
Water Source	Dhauliganga river
Beneficiary States	Uttarakhand.
Approved Investment	Rs. 2978.5 Crore.
Unit Sizes	4X130 MW
Units Commissioned	Under Construction

- तपोवन विष्णुगढ़ पनबिजली संयंत्र एक 520 मेगावाट का नदी का भाग पनबिजली परियोजना है जिसे भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले की धौलीगंगा नदी पर निर्मित किया जा रहा है।
- इस संयंत्र के वार्षिक रूप से 2.5 गीगावाट विद्युत उत्पन्न करने की संभावना है।
- यह बिजली संयंत्र अलकनंदा नदी पर नीचे की ओर स्थित है।
- बैराज को **धौलीगंगा नदी** के आरपार निर्मित किया जा रहा है और **इसका जलग्रह क्षेत्रफल 3,100 किमी. है।**

5. गंगा बेसिन में हिमनदीय झीलों का मानचित्र

(विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- आपदा प्रबंधन, स्रोत- PIB)

खबरों में क्यों है?

- हाल में, जलशक्ति मंत्रालय ने हिमनदीय झीलों के अद्यतन मानचित्र को जारी किया है जो गंगा नदी बेसिन का हिस्सा हैं।

गंगा बेसिन में हिमनदीय झीलों के मानचित्र के बारे में जानकारी

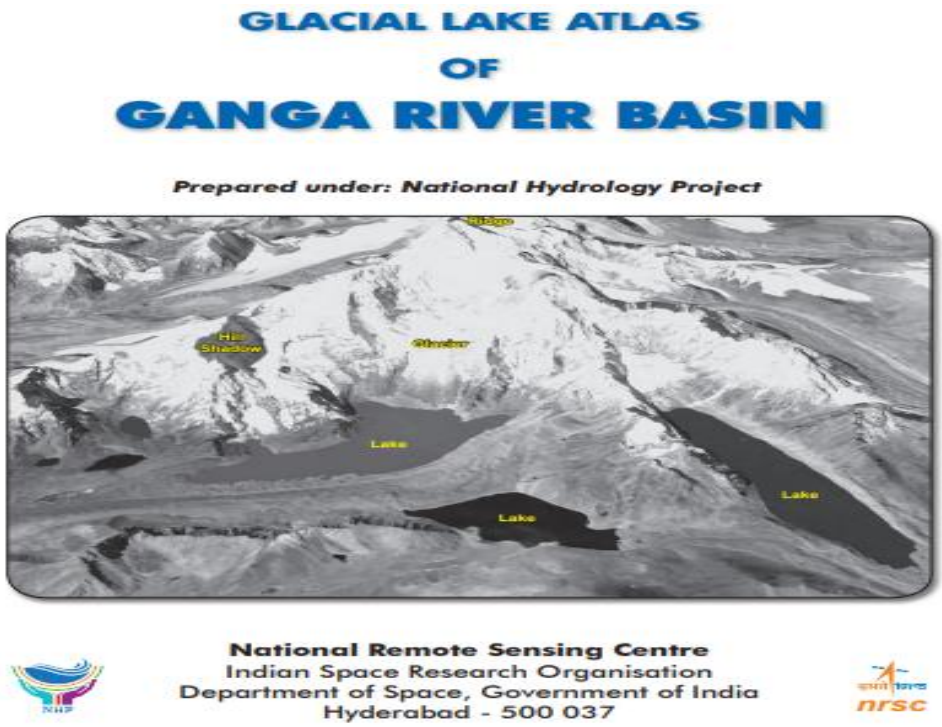

- इसे **राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना (NHP)** के तहत तैयार किया गया है।

- NHP परियोजना को **जल संसाधन विभाग, नदी विकास एवं गंगा पुनर्जीवन (DoWR, RD&GR), जलशक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित किया जा रहा है। विश्व बैंक इसे वित्तीय मदद दे रही है।**

उद्देश्य

- परियोजना का उद्देश्य जल संसाधन सूचना के दायरे और पहुँच में सुधार करना और पूरे भारत में सुधरे हुए जल संसाधनों की योजना और प्रबंधन को सक्षम बनाकर संस्थागत क्षमता को मजबूत करना है।

मिशन

- इस मिशन का उद्देश्य प्रभावी और अच्छे जल विज्ञानी डाटाबेस और जल वैज्ञानिक सूचना प्रणाली (HIS) को स्थापित करना है। साथ ही स्थाई और वैज्ञानिक तौर पर आधारित उपकरणों और डिजाइन सहायकों का विकास करना है जिससे क्रियान्वयन करने वाली एजेंसियों को प्रभावी जल संसाधन योजना और प्रबंधन में सहायता मिल सके।

प्रमुख खास बातें

- 0.25 हेक्टेयर से ज्यादा जल फैलाव क्षेत्रफल वाली हिमनदीय झीलों का नक्शांकन **रिसोर्ससेट-2 (RS-2) लिनियर इमेजिंग सेल्फ स्कैनिंग सेंसर-IV (LISS-IV) उपग्रह डाटा का प्रयोग करके किया गया।**
- यह मानचित्र गंगा नदी बेसिन के संपूर्ण जलग्रह में सभी हिमनदीय झीलों के विवरणों को उपलब्ध कराता है। यह भारतीय और अंतरसीमा क्षेत्र दोनों में ही है।
- इस मानचित्र में हिमनदीय झीलों के क्षेत्रफल के फैलाव के विवरण शामिल हैं, साथ ही 9 श्रेणियां भी शामिल हैं।
- इसके आगे, यह मानचित्र क्षेत्रफल बनाम प्रकार, ऊंचाई, क्षेत्रफल बनाम ऊंचाई और प्रकार बनाम ऊंचाई, घाटियों पर, उपघाटियों, प्रशासनिक और अंतरसीमा क्षेत्रों के संदर्भ में हिमनदीय झीलों के वितरण को प्रस्तुत करता है।
- यह मानचित्र जलविज्ञानी, ज्यामितीय, भौगोलिक, स्थलाकृतिक गुण सूचना पर विचार करते हुए विशिष्ट ID के साथ सभी हिमनदीय झीलों की समग्र सूची उपलब्ध कराता है।

मानचित्र की संभावित उपयोगिता

- यह मानचित्र गंगा नदी बेसिन के लिए समग्र एवं सुव्यवस्थित हिमनदीय झील डाटाबेस उपलब्ध कराता है।

- मौसम परिवर्तन प्रभाव विश्लेषण के संदर्भ में, मानचित्र परिवर्तन विश्लेषण करने के लिए संदर्भ आंकड़ों के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। यह ऐतिहासिक और भविष्य के समयकालों दोनों के ही संदर्भों में है।
- मानचित्र नियमित अथवा अवधिकालिक निगरानी परिवर्तनों में स्थानिक दायरे (विस्तार/संकुचन) और नई झीलों के निर्माण के लिए सही डाटाबेस भी उपलब्ध कराता है।
- इस मानचित्र का प्रयोग हिमनद सूचना के साथ संयोजन में उनके घटने और मौसम प्रभाव अध्ययनों के लिए किया जा सकता है।
- हिमनदीय झीलों पर सूचना जैसे उनके प्रकार, जलवैज्ञानिक, भूस्थलाकृतिक और संबद्ध हिमनद संभावित महत्वपूर्ण हिमनदीय झीलों की पहचान और फलस्वरूप GLOF जोखिम के लिए उपयोगी होती है।
- केंद्रीय और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मानचित्र का प्रयोग आपदा शमन योजना और संबंधित कार्यक्रमों में कर सकते हैं।
- इसका प्रयोग नये पनबिजली/बहुउद्देश्यीय परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयारी के लिए किया जा सकता है।

संबंधित सूचना

हिमनदीय झीलों के बारे में जानकारी

- हिमनदीय झीलें सामान्य तौर पर हिमनद के तलहटी में निर्मित होती हैं।
- जैसे जैसे हिमनद गतिमान और प्रवाह करते हैं, वे अपनी चारों ओर की मिट्टी और रेत का क्षरण करते हैं, जिससे भूमि पर गड्ढे और सांचे बन जाते हैं।
- हिमनद से पिघला हुआ जल गड्ढों को भर देता है जिससे झील बनती हैं।

हिमनदीय झीलों का प्रकार

Table 3: Glacial lake types and their identification keys

S.No.	Lake Type	Lake Subtype	Code	Identification Keys
1	**Moraine-dammed Lake**	End-moraine Dammed Lake	**M(e)**	Lake dammed by end (terminal) moraines
2		Lateral Moraine Dammed Lake	**M(l)**	Lake dammed by lateral moraine(s) not in contact with glacial ice
3		Lateral Moraine Dammed Lake (with Ice)	**M(lg)**	Lake dammed by lateral moraine(s) in contact with glacial ice
4		Other Moraine Dammed Lake	**M(o)**	Lake dammed by other moraines
5	**Ice-dammed Lake**	Supra-glacial Lake	**I(s)**	Pond or lake on the surface of a glacier
6		Glacier Ice-dammed Lake	**I(d)**	Lake dammed by glacier ice with no lateral moraines
7	**Glacier Erosion Lake**	Cirque Erosion Lake	**E(c)**	A small pond occupying a cirque
8		Glacier Trough Valley Erosion Lake	**E(v)**	Lakes formed in the glacier trough as a result of the glacier erosion process
9		Other Glacial Erosion Lake	**E(o)**	Bodies of water occupying depressions formed by the glacial erosion process
10	**Other Glacial Lake**	Other Glacial Lake	**O**	Lakes formed in a glaciated valley, and fed by glacial melt, but damming material not directly part of the glacial process

आगे पढ़ने के लिए:

http://nhp.mowr.gov.in/HomeNew/Glacial_Lake_Atlas_Ganga_Basin_NRSC.pdf

6. बरनाडी अभ्यारण्य

(विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- पर्यावरण, स्रोत- AIR)

खबरों में क्यों है?

- हाल में, प्रकृति भारत के लिए विश्वव्यापी कोष (WWF) और असम वन विभाग के अधिकारियों ने असम के बरनाडी वन्यजीवन अभ्यारण्य में कुछ बाघों को रहते हुए पाया।

बरनाडी वन्यजीवन अभ्यारण्य के बारे में जानकारी

- यह भूटान की सीमा पर उत्तरी असम के बक्सा और उदालगुरी जिले में स्थित है।
- अभ्यारण्य के पश्चिम और पूर्व में क्रमशः बरनाडी और नालापारा नदियों की सीमाएं हैं।

बाघ का स्थाई आवास नहीं है

- बरनाडी बाघ का स्थाई आवास नहीं भी हो सकता है, जो शायद भूटान से आए हों।

संबंधित सूचना

- हाल में, दिहिंग पटकई असम का **सातवां राष्ट्रीय पार्क** बन गया है।

दिहिंग पटकई राष्ट्रीय पार्क के बारे में जानकारी

- दिहिंग पटकई राष्ट्रीय पार्क असम के दिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिलों में स्थित है।
- इसे 13 जून 2004 को वन्यजीवन अभ्यारण्य घोषित किया गया था।
- दिहिंग पटकई वन्यजीवन अभ्यारण्य को हाथी परियोजना के अंतर्गत दिहिंग पटकई हाथी रिज़र्व भी घोषित किया गया था।
- **निचले असम में रायमोना रिज़र्व वन राज्य का छठवां राष्ट्रीय पार्क बन गया।**

असम में अन्य पांच राष्ट्रीय पार्क

- काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, मानस राष्ट्रीय पार्क, नामेरी राष्ट्रीय पार्क, दिब्रू-साईखोवा राष्ट्रीय पार्क और ओरंग राष्ट्रीय पार्क राज्य में स्थित अन्य पांच राष्ट्रीय पार्क हैं।

7. ओडिशा प्रत्येक जिले में निवेश प्रोत्साहन एजेंसी का गठन करेगा

(विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- अर्थशास्त्र, स्रोत- द हिंदू बिजीनेस लाइन)

खबरों में क्यों है?

- ओडिशा सरकार ने राज्य में ज्यादा आर्थिक अवसरों को उत्पन्न करने के लिए जिलास्तरीय उद्योग और निवेश प्रोत्साहन एजेंसियों को गठित करने का निर्णय लिया है।
- यह एक पाइलट परियोजना है जिसे अगस्त में ओडिशा के गंजम, सुंदरगढ़ और जगतसिंहपुर में शुरू किया गया।

प्रबंधन

- इन एजेंसियों का प्रबंधन तीन पेशेवरों के अंतर्गत होगा जिसकी सीधी देखरेख विभिन्न कलेक्टरों द्वारा की जाएगी।

MSME क्षेत्र का महत्व

- ये एजेंसियां सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की सुगमता की ओर समर्पित होंगी।
- ये सभी उद्यमियों और निवेशकों के लिए एक एकल बिंदु संपर्क के रूप में संचालित होंगी।
- ये एजेंसियां MSME उद्यमियों को परियोजना बनने से लेकर और क्षमता निर्माण एवं वित्त पोषण, उत्पादन के शुरू होने और बाजार जुड़ाव तक प्रोत्साहन प्रदान करेंगी।
- ये प्रचलित प्रावधानों के अनुसार सरकार से विभिन्न सहायता प्राप्त करने के लिए उन्हें प्रोत्साहन प्रदान करेंगी।